भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड-I में प्रकाशन हेतु

असाधारण

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

सं.6/टीडीआरओ/8/2018 दिनांक : 25.05.2018

हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना (संशोधन)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश, 2001 के खण्ड 3, 8 एवं 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा वर्तमान हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना सं.2/टीडीआरओ/8/2003, दिनांक 17.04.2003 सहपठित संशोधित अधिसूचना सं. 4/टीडीआरओ/8/2010 दिनांक 31.03.2010 तथा 05/टीडीआरओ/8/2015 दिनांक 02.09.2015 में, हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना, 2010 के साथ संलग्न परिशिष्ट-I में परिवर्तन के द्वारा संशोधित करती हूँ ।

हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना, 2010 का यथा संशोधित परिशिष्ट-I संलग्न है।

हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना सं. 2/टीडीआरओ/8/2003 दिनांक 17.04.2003 सहपठित संशोधित अधिसूचना सं.04/टीडीआरओ/8/2010 दिनांक 31.03.2010 तथा 05/टीडीआरओ/8/2015 दिनांक 02.09.2015 की अन्य शर्तो एवं विनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2018 से लागू होगी ।

संलग्न : यथोपरि ।

कविता गुप्ता

(डॉ. कविता गुप्ता)
वस्त्र आयुक्त

सेवा में
प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली – 110 064

(उक्त अधिसूचना को गजट में यथाशीघ्र प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ)

परिशिष्ट - I

त्रैमासिक हैंक यार्न पैकिंग विवरणी

(हैंक यार्न अधिसूचना 2003 के खण्ड-5, सं.2/टीडीआरओ/8/2003, दिनांक 17 अप्रैल, 2003 सहपठित संशोधित अधिसूचना सं. 04/टीडीआरओ/8/2010 दिनांक 31 मार्च, 2010 एवं सं. 05/टीडीआरओ/8/2015 दिनांक 2 सितंबर, 2015 के अंतर्गत।)

नोट: परिशिष्ट - I को वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक त्रैमासिक अवधि की समाप्ति के दूसरे माह की 10 तारीख तक या उससे पहले ऑनलाइन "www.txcindia.gov.in" पर दिए गए लिंक के माध्यम से जमा किया जाए।

भाग (00) पहचान के विवरण

1. वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी मिल के सिरीयल नं./टीयूआईडी संख्या ______________________________

2. मिल का नाम एवं पता ______________________________

   ____

3. कताई अथवा कंपोजिट यूनिट ______________________________

4. प्रबंधन का स्वरूप (एन टी सी/ एस टी सी/ सहकारी / निजी / अन्य) ______________________________

5. त्रैमासिक विवरणी ______________________________ को समाप्त अवधि हेतु है।

जारी पृ.2...

भाग (01) सूती (कॉटन) यार्न के उत्पादन, पैकिंग एवं हैंक यार्न बाध्यता का विवरण

कि.ग्रा.में

1.	**पूर्णतः रूई तथा/ अथवा उसके अपशिष्ट से बनाए गए / काते गये यार्न से उत्पादित एवं पैक किया गया कुल कॉटन यार्न**	
2.	**उस कॉटन यार्न का पैकिंग विवरण (मात्रा) जिसे हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना - 2003 सहपठित संशोधित अधिसूचना - 2010 के अन्तर्गत न आता हो / उससे छूट प्राप्त हो (प्रत्येक मद के पूष्टि में दस्तावेज रखें जाएं।)**	
क)	होजियरी यार्न	
ख)	सिलाई के धागे	
ग)	औद्योगिक यार्न	
घ)	विभिन्न काउण्टों के मिश्रित यार्न, जो कॉप बाटम से रील ऑफ किये गये हों	
च)	सिंगल काउंट का यार्न जिसे कॉप बॉटम से रील ऑफ किया गया हो जिसके छोर खुले हो अथवा कम लम्बाइयों पर गाँठें हों	
छ)	भारत से बाहर निर्यात किया गया यार्न	
ज)	यार्न की आपूर्ति जिसे निर्यात माना (डीम्ड एक्सपोर्ट) गया हो (जैसा कि आयात - निर्यात नीति में परिभाषित किया गया है)	
झ)	ऐसे यार्न जिन्हें स्वयं उपभोग किया गया हो।	
ट)	कुल छूट प्राप्त यार्न [स्तंभ सं.(क) से (झ) तक]	
3.	**जन/घरेलू खपत के लिए पैक किया गया कॉटन यार्न (बाध्यकारी किस्में) (1-2)**	

जारी पृ.3...

भाग (02) जन / घरेलु खपत के लिए पैक किया गया सूती (कॉटन) यार्न (बाध्यकारी किस्में) कि.ग्रा.में

4. जन / घरेलु खपत के लिए पैक किया गया कॉटन यार्न (बाध्यकारी किस्में)				
पैकिंग का प्रकार/ विवरण		पूर्ण रूई से युक्त यार्न और / अथवा उसके अपशिष्ट से तैयार यार्न		
		80 एस काउण्ट एवं कम	80 एस से अधिक काउण्ट	योग [(1) + (2)]
0		(1)	(2)	(3)
(क)	हैंक (बाहर से हैंक रूप में रील किए गए यार्न सहित)			
(ख)	कोन / चीज, पर्न, बीम इत्यादि			
(ग)	जन / घरेलु खपत के लिए पैक की गयी कुल कॉटन यार्न की मात्रा [(क)+(ख)]			
(घ)	हैक यार्न पैकिंग बाध्यता (है.या.पै.बा.)			
(च)	हैक यार्न पैकिंग बाध्यता पूर्ण करने में हुई कमी [(घ)-(क)]			
छ)	स्वयं की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता पूर्ण करने के बाद की अधिक मात्रा [(क)-(घ)]			
ज)	कुल बेचा गया हैंक यार्न (इसमे वह हैंक यार्न शामिल है जो बेचा गया किन्तु उठाया नहीं गया)			

भाग (03) कुल बेचे गए हैंक यार्न का विवरण (इसमे वह हैंक यार्न शामिल है जो बेचा गया किन्तु उठाया नहीं गया) कि.ग्रा.में

5. कुल बेचा गया हैंक यार्न (इसमे वह हैंक यार्न शामिल है जो बेचा गया किन्तु उठाया नहीं गया)			80 एस काउण्ट एवं कम	80 एस से अधिक काउण्ट	कुल [(1)+(2)]
			(1)	(2)	(3)
(क)	घरेलु स्तर पर बेचा गया हैंक यार्न	एनएचडीसी			
		निजी पार्टियाँ जिसमें निर्यातक शामिल हैं			
		अपेक्स / सहकारी सोसायटियाँ			
(ख)	हैंक यार्न जिसका भारत के बाहर निर्यात किया गया				
(ग)	**कुल बेचा गया हैंक यार्न (इसमे वह हैंक यार्न शामिल है जो बेचा गया किन्तु उठाया नहीं गया) [(क)+(ख)]**				

जारी पृ.4...

भाग (04) हैंक यार्न का भंडारण कि.ग्रा.में

6. **हैंक यार्न का भंडारण**								
माह (1)		**बिक्री न किया गया माल (2)**			**बिक्री किया गया किन्तु उठाया न गया भंडारण (3)**			**कुल भंडारण [(2)+(3)] (4)**
		80 एस काउण्ट एवं कम	**80 एस से अधिक काउंट**	**कुल**	**80 एस काउण्ट एवं कम**	**80 एस से अधिक काउंट**	**कुल**	
(क)	तिमाही के पहले माह के अंतिम दिन भंडारण							
(ख)	तिमाही के दूसरे माह के अंतिम दिन भंडारण							
(ग)	तिमाही के तीसरे माह के अंतिम दिन भंडारण							

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त ब्यौरे सही एवं यथार्थ है। हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की पूर्ति के लिए परिशिष्ट - II वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक त्रैमासिक अवधि, जिसके लिए परिशिष्ट - I को जमा किया गया है, की समाप्ति के दूसरे माह की समाप्ति तक या उससे पहले ऑनलाइन "www.txcindia.gov.in" पर दिए गए लिंक के माध्यम से जमा किया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त विवरण सत्यापित किए गए हैं तथा मेरी (मिल के प्रबंधक) जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं यथार्थ हैं।

मिल के प्रोप्राइटर/ भागीदार/ प्रबंध निदेशक/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं तिथि

(मिल का नाम एवं मुहर)

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त विवरण सत्यापित किए गए हैं तथा मेरी (चा.अ.) जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं यथार्थ है।

चार्टड अकाउंटेंट अथवा कास्ट अकाउंटेंट के हस्ताक्षर एवं तिथि

(नाम एवं पंजीयन संख्या सहित)